

प्ररूप सं. 31

[नियम 43 देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 230 की उपधारा (1क) के प्रथम परन्तुक
के अधीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

.....
.....

महोदय,

मैं यह अनुरोध करता हूँ कि मुझे कर समाशोधन प्रमाणपत्र* दिया जाए। मैं नीचे आवश्यक विशिष्टियाँ दे रहा हूँ :-

1. आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. ¹[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]
3. वर्तमान पता
4. स्थायी पता
5. पिता (या पति) का नाम
6. अधिवास और राष्ट्रीयता
7. भारत में कारबार या वृत्ति, आदि की प्रकृति
8. क्या छूट का दावा अधिनियम की किसी धारा के अधीन किया गया है? यदि हाँ तो कौन सी
9. वह (वे) स्थान, जहाँ कारबार या वृत्ति चलाई जा रही है/थी?
10. भारत में आगमन की तारीख (पिछली बार कब आए थे और प्रत्येक बार ठहरने की अवधि क्या थी).....
11. गंतव्य यात्रा
12. प्रस्थान की संभाव्य तारीख
13. यात्रा का प्रकार (वायुयान/जलयान/भूमार्ग द्वारा)
14. वापसी की आशयित तारीख, यदि कोई हो
15. पासपोर्ट सं./आपात प्रमाणपत्र सं.
(क) कब जारी किया गया (तारीख)
- (ख) जारी करने का (स्थान और देश)

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवेदन में दी गई जानकारी सही है और उसका कथन सत्य रूप से किया गया है।

स्थान :

भवदीय

तारीख :

(आवेदक)

* जो लागू न हो उसे काट दें।

1. आय-कर (बारहवाँ संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।